

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

न्यायालय अधिकारी उनियारा (लोक)

नंबरकाल बनाम 1 मोराडा

किस्म मुकदमा.....नम्बर 06 सन्...2017
युपन 136

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 25-4-18	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
---	---

पत्रावली पेश हुयी। प्रार्थने के वरीत उपरो
 प्रार्थने वरीत को कचरे पर गौर किया।
 पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थने
 के आधार पर के रूप में कि यह है कि
 प्रार्थने के पिता हरि राम की हस्त
 के काल फौजी नामांतरण के प्रार्थने का
 1 व 2 का नाम हलका पत्रावली के
 प्रार्थने 1) का नाम रामकिलाल के प्रार्थने
 2) का नाम कल्लाल अंकित कर दिया
 जाकर प्रार्थने के पिता के रामकिलाल
 के कल्लाल नाम के कोई पुत्र नहीं है
 उक्त नामांतरण के प्रार्थने 2) का
 नाम कल्लाल अंकित व देकर रामकिलाल
 की दलील प्रार्थने का नाम नामांतरण
 के द्वारा राजस्थान सिमाई के इन्तें हुया
 है कि प्रार्थने के उक्त नामांतरण के
 कोई उत्पत्ति है न कि वह कदापि नामांतरण

के अजीब सच का संकट है। पाठों
का अर्थव्यवस्था न्यायिक दार्शनिक की दृष्टि
136 के अर्थव्यवस्था न्यायिक दार्शनिक की दृष्टि
पाठों का अर्थव्यवस्था न्यायिक दार्शनिक की दृष्टि
है। पत्रिका के अर्थव्यवस्था न्यायिक दार्शनिक की दृष्टि
के अर्थव्यवस्था न्यायिक दार्शनिक की दृष्टि

